न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/291

1. पार्वती पुत्री किशोर पुरी जाति गुंसाई ।
2. त्रिलोक पुत्र स्व0 सत्यनारायण जाति गुंसाई ।
3. सुरेश पुत्र स्व0 सत्यनारायण जाति गुंसाई ।
4. टोनू उर्फ रवि पुत्र स्व0 सत्यनारायण जाति गुसाई ।
5. संजू पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति गुंसाई ।
6. नमीता पुत्री स्व0 सत्यनारायण जाति गुंसाई ।
7. राजेश बाई पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति गुंसाई निवासीगण ग्राम बीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज जगन्नाथपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम बीलखेडी हाल निवासी मकान नं0 51 –ए, केशवपुरा सेक्टर सैकण्ड कोटा ।
2. बद्रीपुरी आत्मज जगन्नाथपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम बीलखेडी हाल निवासी मकान नं0 1029, महावीर नगर सैकण्ड कोटा ।
3. ग्यारसी लाल आत्मज जगन्नाथपुरी जाति गुंसाई निवासी ग्राम बीलखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अश्विन कुमार मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 बाबू लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम भंवरिया तहसील

लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 43 की 0.92 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 60 की 0.43 हैक्टर कुल दो किता की 1.35 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी क्रम 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण क्रम 4 से 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारान आपसी सहमति से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जिससे पक्षकारों को लगान आदि जमा कराने में परेशानी होती है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके रिकॉर्ड में मुताबिक विधिवत विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत में रखवाते हुए सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प भंवरिया में अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 के द्वारा पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 3 से 9 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.06.2017 वास्ते जवाब हेतु नियत की थी और लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने का कोई नोटिस व सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 6 व 7 का वकालत नाम पेश करने जाने पर हुआ जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के हिस्से का जो अंकन है वह बिल्कुल गलत है । आराजी खसरा नम्बर 43 की भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का कोई हक हिस्सा व स्वत्व व कब्जा नहीं है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा आपसी मिली भगत कर लोक अदालत में वाद डिक्री करवा लिया जो निरस्तनीय है । पूर्व में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 28 की 11 बीघा 10 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 113 की 02 बीघा 15 बिस्वा कुल दो किता की 14 बीघा 05 बिस्वा भूमि जगन्नाथपुरी व किशोरपुरी के शामलाती खाते में दर्ज थी

जिसमें जगन्नाथपुरी का 1/2 हिस्सा था व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 के पिता जगन्नाथपुरी ने आराजी खसरा नम्बर 28 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से रामगोपाल को बेचान कर दी थी । रामगोपाल ने 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि किशन लाल व अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी । सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 28 के नये खसरा नम्बर 42 की 1.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 43 की 0.92 हैक्टर व पुराने खसरा नम्बर 113 के नये खसरा नम्बर 60 की 0.43 हैक्टर कायम किये हैं । जिसमें से जगन्नाथपुरी द्वारा बेची गई भूमि के नये खसरा नम्बर 42 की 1.14 हैक्टर कायम करते हुए केता के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई । इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 43 की 0.92 हैक्टर भूमि में जगन्नाथपुरी अथवा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 का कोई हिस्सा नहीं बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की डिक्री पारित करने से पूर्व कब्जे की रिपोर्ट तलब नहीं की है और गलत रिकॉर्ड के अनुसार बिना अपीलान्ट को सुनवायी व जवाब देही का अवसर दिये निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 43 की 0.92 हैक्टर व खसरा नम्बर 60 की 0.43 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं जो उनकी हिस्से की व खातेदारी की भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 का किसी प्रकार का हक व हिस्सा व स्वत्व कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 का केवल मात्र आराजी खसरा नम्बर 60 की आधी भूमि में से ही हक व हिस्सा है । चूँकि पूर्व में जगन्नाथपुरी व किशोरपुरी के संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज थी और बेचान केवल जगन्नाथपुरी ने ही अपने 1/2 हिस्से की भूमि का किया था व प्रतिफल की राशि जगन्नाथपुरी ने ही प्राप्त की थी जिसका अंकन विक्रय पत्र में स्पष्ट किया हुआ है । किशोरपुरी ने कोई अपने हिस्से की भूमि बेचान नहीं की है और न ही कोई प्रतिफल प्राप्त किया है । केवल मात्र खाते में नाम होने से दोनों खातेदार की ओर से विक्रय आलेखित किये जाने से अंकित किया गया था जिसके कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आराजी खसरा नम्बर 28 की शेष भूमि में भी जगन्नाथपुरी व उसके वारिसान का नाम अंकित कर दिया जिसका लाभ रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 प्राप्त नहीं कर सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है और रिकॉर्डेड पक्षकारान की सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने की सूचना पक्षकारान को दी थी तथा पक्षकारान की उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम भंवरिया तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 0.92 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 60 रकबा 0.43 हैक्टर भूमि बद्रीपुरी, ग्यारसीलाल, बाबूलाल पुत्रान जगन्नाथपुरी हिस्सा 1/2, पार्वती पुत्री किशोरपुरी हिस्सा 1/4, त्रिलोक, सुरेश, टीनू नाबा0 पुत्रान व संजू, नमीता नाबा0 पुत्रियॉ राजेश बाई बेवा सत्यनारायण हिस्सा 1/4 हि0 बरा0 जाति गुंसाई के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया – हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ ऐस कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में अंकित संयुक्त खातेदारान के मध्य विधिवत रूप से विभाजन किया जाना होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है ।

13. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा